:कार्यालय- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव (छ०ग०):

//विविध आदेश//

क्रमांक 17 /एक-11-01/2016, कोण्डागांव, दिनांक- 06.04.2026

मैं खिलावन राम रिगरी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव छ०ग० व्यवहार न्यायालय अधिनियम 1958 की धारा-15 एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-214/दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 194 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड कोण्डागांव में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के मध्य प्रसारित पूर्व के समस्त कार्य विभाजन आदेश को निरस्त करते हुए निम्नानुसार कार्य विभाजन आदेश प्रसारित करता हूँ:-

क्र०	न्यायालय का नाम	कार्यक्षेत्र	प्रकरणों का प्रकार	
01.	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव (छ०ग०)	सत्र खण्ड कोण्डागांव, व्यवहार जिला कोण्डागांव	01-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित सभी सत्र प्रकरण।
			02-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित सभी आपराधिक अपील।
			03-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित सभी आपराधिक पुनरीक्षण।
			04-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित सभी जमानत आवेदन पत्र (राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008,
			05-	विद्युत अधिनियम 2003, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, बालक न्यायालय से संबंधित जमानत आवेदन पत्र को छोड़कर)। सत्र प्रकरणों के स्थानांतरण के संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र।
			06-	विविध दाण्डिक कार्यवाहियां।
			07-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार अंतर्गत सभी प्रकार के सिविल प्रकरण जिनका मूल्यांकन 10,00,001/- रूपये से अधिक हो तथा उपरोक्त प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध मामलें।
			08-	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव, द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव एवं व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, केशकाल द्वारा पारित निर्णय, डिक्री एवं आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत नियमित एवं विविध व्यवहार अपील।

			09-	रूपये 10,00,000/- तक के आर्बीटेशन एण्ड कांसिलिएशन एक्ट 1996 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			10-	छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1956 एवं छ.ग. नगर पालिका अधिनियम 1961 एवं नगर पंचायत अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत चुनाव याचिकाएं।
			11-	भू-अर्जन अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण।
			12-	सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अन्तर्गत वाद मूल्य रूपये 10,00,001/- से अधिक मूल्य के प्रकरण।
			13-	व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-92 के अन्तर्गत मूल्य रूपये पचास हजार से अधिक मूल्य के प्रकरण।
			14-	अन्य विशेष एवं लोकल लॉ के अन्तर्गत जिला न्यायाधीश के न्यायालय को पेश होने वाले सिविल प्रकरण, विविध प्रकरण एवं अपीलें।
			15-	व्यवहार प्रक्रिया संहिता की धारा-24 के अन्तर्गत पेश होने वाले आवेदन पत्र।
			16-	लघुवाद न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने वाले पांच सौ एक रूपये से एक हजार रूपये तक मूल्य के लघुवाद प्रकरण एवं उससे उत्पन्न निष्पादन एवं विविध न्यायिक प्रकरण।
			17-	भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भाग-10 के अन्तर्गत संस्थापित होने वाले प्रकरणों को छोड़कर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले शेष सभी प्रकरण।
			18-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार अंतर्गत मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत मोटर दुर्घटना दावा प्राधिकरण में प्रस्तुत होने वाले दावा प्रकरण।
			19-	मानव अधिकार अधिनियम, 1993 से संबंधित प्रकरण।
			20-	छ0ग0 राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 7782/2124/XXI-B/C.G./19 दिनांक 02 अगस्त 2019 द्वारा Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Specific Relief (Amendment) Act 2018, in respect of contracts relating to infrastructure projects से संबंधित HJS Level के मामलें।
			21-	छ0ग0 राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 01/4556/XXI-B/C.G./2024 दिनांक 01 जनवरी

				2025 के अनुसार Trial of offences relating to Suppression of Unlawful Acts against safety of civil aviation (amendment) Act, 1994 arising within their respective sessions division (Civil District).
			22-	छ0ग0 राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 4072/3861/C.G./2024 दिनांक 13 नवम्बर 2024 के अनुसार Trial of cases filed under the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 for the jurisdictiojn of their respective Civil District.
			23-	केन्द्रीय अधिनियमों एवं राज्य के अधिनियमों के अन्तर्गत पेश होने वाले ऐसे समस्त प्रकरण, आवेदन, अपील, पुनरीक्षण एवं संदर्भ, जो जिला न्यायालय या मूल न्यायालय में पेश किये जाने योग्य हो और जिनके संबंध में इस कार्य विभाजन आदेश में अन्यथा उपबंधित न किया गया हो, प्रस्तुत किये जायेंगे।
02	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव (छ0ग0)	व्यवहार जिला कोण्डागांव	01-	विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			02-	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण।
			03-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम 2008 से संबंधित प्रकरण।
			04-	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
03	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC), कोण्डागांव (छ०ग०)	सिविल जिला कोण्डागांव	01-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (POCSO Act) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे सभी प्रकरण जिसमें (POCSO Act) की धाराओं के साथ अन्य दाण्डिक विधियों से संबंधित अपराध लगा हो।
			02-	राजस्व जिला कोण्डागांव से संबंधित बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण।
			03-	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0) कोण्डागांव के द्वारा दिनांक 30.11.2011 के पूर्व निराकृत मोटर दुर्घटना दावाधिकरण प्रकरण, व्यवहार वाद, निष्पादन वाद, विविध वाद एवं विविध आदेवन पत्र,

				निराकृत सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण एवं विविध प्रकरणों से संबंधित आदेशों , निर्णयों का क्रियान्वन तथा जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTSC (POCSO) कोण्डागांव द्वारा निराकृत प्रकरणों के संबंध में पेश आवेदन पत्रो , आदेशों एवं निर्णयों का निराकरण एवं क्रियान्वन।
			04-	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।
04	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, FTSC (POCSO) कोण्डागांव (छ०ग०)	सिविल जिला कोण्डागांव	01-	न्यायालय रिक्त है।
05	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर (छ०ग०)	राजस्व जिला नारायणपुर	01-	राजस्व जिला नारायणपुर से उदभूत समस्त सत्र प्रकरण, आपराधिक अपील, आपराधिक पुनरीक्षण का निराकरण।
			02-	राजस्व जिला नारायणपुर से संबंधित National Investigation Agency Act, 2008. के प्रकरण।
			03-	राजस्व जिला नारायणपुर से संबंधित लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012(POCSO Act) के अन्तर्गत प्रस्तुत होने वाले प्रकरण एवं ऐसे सभी प्रकरण जिसमें (POCSO Act) की धाराओं के साथ अन्य दाण्डिक विधियों से संबंधित अपराध लगा हो।
			04-	राजस्व जिला नारायणपुर से संबंधित बालक न्यायालय से संबंधित प्रकरण।
			05-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार सें संबंधित समस्त मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण।
			06-	रूपये 10,00,001/- से अधिक मूल्य के व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां।
			07-	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी , नारायणपुर के न्यायालय से उद्भूत व्यवहार अपील एवं विविध अपील का निराकरण।
			10-	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोण्डागांव द्वारा समय-समय पर सौंपे गये अन्य कार्य।

06	प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव (छ०ग०)	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील कोण्डागांव, फरसगांव, माकड़ी, केशकाल एवं बडेराजपुर	01-	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील कोण्डागांव , फरसगांव, माकड़ी के अधिकार क्षेत्र के तहत पेश नियमित व्यवहार वाद 10,00,000/- रूपये मूल्य तक के एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां।
			02-	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील केशकाल एवं बडेराजपुर के क्षेत्राधिकार के तहत मूल्य 5,00,001/- से 10,00,000/- तक नियमित व्यवहार वाद एवं उनसे संबधित निष्पादन प्रकरण एवं विविध प्रकरण
			03-	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील केशकाल एवं बडेराजपुर को छोडकर सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत वाद मूल्य रूपये 10,00,000/- तक के प्रकरण।
			04-	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील केशकाल एवं बडेराजपुर के अंतर्गत सहकारी समिति अधिनियम के अन्तर्गत वाद मूल्य रूपये 5,00,001/- से 10,00,000/- तक के प्रकरण।
			05-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार से संबंधित भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भाग-10 के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरण।
			06-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार से संबंधित विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अन्तर्गत प्रकरण।
			07-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार से संबंधित दिवालिया प्रकरण।
			08-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार से संबंधित छ.ग. नगर पालिका अधिनियम की धारा-139 एवं 172 की अपीलें।
			09-	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील केशकाल एवं बडेराजपुर के क्षेत्राधिकार के तहत छ.ग. सिविल कोर्ट एक्ट की धारा-9 के अन्तर्गत प्राधिकृत 201/- से 500/- तक के लघुवाद।
			10-	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील केशकाल एवं बडेराजपुर को छोडकर छ.ग. सिविल कोर्ट एक्ट की धारा-9 के अन्तर्गत प्राधिकृत 500/- तक के लघुवाद।

			11-	राजस्व जिला कोण्डागांव के क्षेत्राधिकार से संबंधित अन्य नियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदन का निराकरण करना।
			12-	छ0ग0 राज्य शासन द्वारा जारी नोटिफिकेशन क्रमांक 7782/2124/XXI-B/C.G./19 दिनांक 02 अगस्त 2019 द्वारा Specific Relief Act, 1963 (47 of 1963) and Specific Relief (Amendment) Act 2018, in respect of contracts relating to infrastructure projects से संबंधित LJS Level के मामलें।
			13-	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव (छ०ग०) एवं प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2 कोण्डागांव (जो वर्तमान में रिक्त है) के न्यायालय के द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना तथा उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों के आदेशों का क्रियान्वयन करना।
07	व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, नारायणपुर (छ०ग०)	राजस्व जिला नारायणपुर के समस्त तहसील एवं उप तहसील	01-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत वाद रूपये 10,00,000/- मूल्य तक के व्यवहार वाद एवं उनसे संबंधित निष्पादन प्रकरण तथा अन्य विविध कार्यवाहियां।
			02-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अन्तर्गत वाद मूल्य रूपये 10,00,000/- तक के प्रकरण।
			03-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम 1925 भाग-10 के अन्तर्गत उद्भूत प्रकरण।
			04-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत विस्थापित व्यक्ति अधिनियम 1951 ऋण समायोजन के अन्तर्गत प्रकरण।
			05-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दिवालिया प्रकरण।
			06-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत छ.ग. नगर पालिका अधिनियम की धारा-139 एवं 172

				की अपीलें।
			07-	राजस्व जिला नारायणपुर के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत छ.ग. सिविल कोर्ट एक्ट की धारा -9 के अन्तर्गत प्राधिकृत 500/- तक के लघुवाद।
			08-	व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-02 नारायणपुर के न्यायालय द्वारा दिनांक 06.01.2010 के पूर्व निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना तथा उक्त न्यायालय द्वारा पारित निर्णय/आदेशों के विरूद्ध की गई अपीलों के आदेशों का क्रियान्वयन करना।
			09-	अन्य नियम एवं अधिनियम के अन्तर्गत व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-01 नारायणपुर के न्यायालय में पेश किये जाने योग्य प्रकरण एवं आवेदन का निराकरण करना।
08	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, केशकाल (छ0ग0)	राजस्व जिला कोण्डागांव के तहसील केशकाल एवं बड़ेराजपुर	01-	वाद मूल्य 5,00,000/- तक के व्यवहार वाद।
			02-	सहकारी समिति अधिनियम 1960 के अन्तर्गत प्रस्तुत 5,00,000/- रूपये मूल्य तक के प्रकरण।
			03-	छ.ग. सिविल कोर्ट एक्ट की धारा -09 के अन्तर्गत प्राधिकृत रूपये 200/- तक के लघुवाद।
			04-	अपने न्यायालय द्वारा निराकृत व्यवहार प्रकरणों से उत्पन्न निष्पादन एवं विविध प्रकरणों का निराकरण करना।
09	द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव (छ०ग०)	राजस्व जिला कोण्डागांव के समस्त तहसील एवं उप तहसील	01-	न्यायालय रिक्त है।
10	व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, नारायणपुर (छ०ग०)	राजस्व जिला नारायणपुर के समस्त तहसील एवं उप तहसील	01-	न्यायालय रिक्त है।

टीप:- प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्यायबोर्ड कोण्डागांव/नारायणपुर माननीय छ०ग० उच्च न्यायालय बिलासपुर की अधिसूचना क्रमांक एफ-11-5/2023/WCD/50 दिनांक 26 सितम्बर 2025

के अनुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के नियंत्रण में रहते हुए किशोर न्याय बोर्ड का कार्य संपादन करेंगे।

व्यवहार जिला एवं सत्र खण्ड कोण्डागांव में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों के अवकाश अवधि अथवा अन्य कारणों से की अनुपस्थिति की दशा में उनके न्यायालयों में लंबित प्रकरण एवं अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का निराकरण और कार्य संपादन नीचे दिये गये तालिका के अनुसार किया जावेगा:-

तालिका

क्र०	**न्यायालय का नाम**			
	स्तंभ क्र 01	स्तंभ क्र 02	स्तंभ क्र 03	स्तंभ क्र 04
01	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर
02	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोण्डागांव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर
03	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर
04	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश (FTC) कोण्डागांव	जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव	प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव

तालिका

क्र०	**न्यायालय का नाम**		
	स्तंभ क्र० 01	स्तंभ क्र० 02	स्तंभ क्र० 03
01	प्र0व्य0वरि0श्रे0, कोण्डागांव	व्य0न्या0 कनि0श्रे0, केशकाल	व्य0न्या0 वरि0श्रे0, नारायणपुर
02	व्य0न्या0 वरि0श्रे0, नारायणपुर	प्र0व्य0वरि0श्रे0, कोण्डागांव	व्य0न्या0 कनि0श्रे0, केशकाल
03	व्य0न्या0 कनि0श्रे0, केशकाल	प्र0व्य0वरि0श्रे0, कोण्डागांव	व्य0न्या0 वरि0श्रे0, नारायणपुर

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

16.04.24

(खिलावन राम रिगरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

पृ0 क्रमांक 775 /एक-11-01/2016, कोण्डागांव, दिनांक- 07.04.2026

प्रतिलिपि:-

1. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश FTC कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
3. जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
4. प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
5. व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ श्रेणी, नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
6. व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
7. सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. प्रधान मजिस्ट्रेट, किशोर न्याय बोर्ड कोण्डागांव/नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
9. प्रभारी अधिकारी, सेन्ट्रल फाईलिंग अनुभाग, जिला न्यायालय कोण्डागांव, व्यवहार न्यायालय नारायणपुर एवं व्यवहार न्यायालय केशकाल की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
10. अध्यक्ष, जिला अधिवक्ता संघ, कोण्डागांव/नारायणपुर की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
11. शासकीय अभिभाषक/लोक अभियोजक, जिला-कोण्डागांव/नारायणपुर छ0ग0 की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
12. प्रस्तुतकार, न्याया-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कोण्डागांव की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
13. प्रभारी अधिकारी, कम्प्युटर अनुभाग, कार्या-प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

07.04.26

(खिलावन राम रिगरी)
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ०ग०)

Seen